बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–03–44/2024(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–..

सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक–05 दिनांक–02.01 2023 के द्वारा डॉ० चन्द्रमणि, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटगेंवा बाजार, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध दिनाक–14 10.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प सं०–999(9) दिनाक–15.09.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। विभागीय पत्रांक–889(9) दिनांक–25.09.2024 द्वारा डॉ० चन्द्रमणि से द्वितीय कारण–पृच्छा की गयी। जिसके आलोक में उनका प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ।

3. डॉ० चन्द्रमणि द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित कर अवगत करायी गयी है कि वे अज्ञानतावश शिशु देखभाल अवकाश का आवेदन के स्थान पर मातृत्व अवकाश का आवेदन देकर घर चली गयी। मई 2022 से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गयी। संस्थान के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को इस संबंध में दूरभाष पर सूचना दी गयी।

4. विभागीय आदेश सं०–924(9) दिनाक–26.09 2024 के आलोक मे डॉ० चन्द्रमणि द्वारा दिनांक–09.10 2024 को सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण के समक्ष योगदान समर्पित की गयी। वे दिनांक–09.10.2024 से नियमित रूप से कर्त्तव्य पर उपस्थित है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले के सम्यक् समीक्षोपरान्त डॉ० चन्द्रमणि के विरूद्ध नियत्री पदाधिकारी को भ्रमित करने के लिए शिशु देखभाल अवकाश की जगह पर मातृत्व अवकाश का आवेदन दी गयी। डॉ० चन्द्रमणि की स्वीकारोक्ति है कि वे सक्षम प्राधिकार से अवकाश आवेदन स्वीकृत कराये बिना कार्यस्थल से अनुपस्थित रही है। फलतः उनके द्वितीय कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर को अस्वीकृत करते हुए डॉ० चन्द्रमणि, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटगेंवा बाजार, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध दिनांक–14 10.2021 से 09.10.2024 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप मे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(VI) के अधीन सचयी प्रभाव से 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

6. विभागीय पत्रांक–142(9) दिनांक–11.02.2025 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–954 दिनांक–15.05.2025 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी है।

7 अतएव डॉ० चन्द्रमणि, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटगेंवा बाजार, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(VI) के अधीन सचयी प्रभाव से 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं ससूचित किया जाता है।

8. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

30/05/2025

ज्ञापांकः—9/आ0—03—44/2024(स्वा0) 564(9) /पटना, दिनांकः— 02.06.25

प्रतिलिपिः—महालेखाकार, (ले0 एव हक0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—क्षेत्रीय अपर—निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—डॉ० चन्द्रमणि, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटगेंवा बाजार, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

30/05/2025

सरकार के अवर सचिव।

15